भारत के संविधान के
अनुच्छेद 176 (II) के अन्तर्गत
झारखण्ड विधानसभा के अधिवेशन में
झारखण्ड के महामहिम राज्यपाल

श्री प्रभात कुमार

का

अभिभाषण

राँची

27 फरवरी, 2001

झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण,

१. आज झारखंड विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस सत्र के दौरान वर्ष २००१-२००२ के दौरान किये जाने वाले कार्यों की दिशा निर्धारित की जायेगी। साथ ही, विगत तीन माह में सरकार की उपलब्धियों का आकलन भी किया जायेगा। अतः इस अति महत्वपूर्ण बजट सत्र के दौरान मैं आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

२. तीन माह की अल्प अवधि किसी भी नवसृजित राज्य सरकार जहाँ प्रशासनिक आधारभूत संरचनाएँ भी नहीं हों, की उपलब्धियों का लेखा-जोखा करने के लिए अपर्याप्त है। बावजूद इसके, इस अल्प अवधि में भी, हमारी सरकार ने राज्य की प्रगति के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। राज्य के तीनों अंगों, यथा, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका ने प्रभावी ढंग से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। विकास कार्यक्रमों की दिशा तथा उनकी प्राथमिकताएँ निर्धारित कर ली गयी हैं। उग्रवादी गतिविधियों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा चुका है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए संसाधनों का सही आकलन लिया गया है तथा राजस्व संग्रहण करने वाले शासन-तंत्र को चुस्त-दुरुस्त किया जा रहा है ताकि इन संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग विकास कार्यक्रमों में किया जा सके। हमारी सरकार ने राज्य के लोगों में जहाँ एक ओर अनेकानेक आकांक्षाओं को जागृत किया है, वहीं दूसरी ओर हमारे प्रशासनिक तंत्र ने इस राज्य में जागृत हो रही नई कार्य-संस्कृति का भी स्पष्ट संकेत दिया है।

३. हम यह मानते हैं कि विकास के रास्ते में उग्रवाद सबसे बड़ी चुनौती है। इस समस्या को जड़ से समाप्त करना होगा, तभी विकास की किरणों को

प्रत्येक गाँव एवं घरों तक पहुँचाया जा सकेगा। हमें पूरा विश्वास है कि अगर विकास की गति को तेज कर दिया जाय और उसमें आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराई जाय तथा समाज के पिछड़े एवं दलित वर्गों को उनका अपना न्यायपूर्ण हक पुनर्स्थापित कर दिया जाय तो उग्रवाद की समस्या का हल निकाला जा सकता है। विकास कार्यक्रमों के सही एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन से जन आकाँक्षाओं की पूर्ति होगी; लोगों के जीवनस्तर में सुधार आएगा और उग्रवाद की समस्या धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगी। इस दिशा में, हमारी सरकार ने प्रभावकारी कदम उठाए हैं। अगले वित्तीय वर्ष में विकास कार्यक्रमों को और अधिक त्वरित किया जायेगा तथा पिछले वर्षों के मुकाबले लगभग चार गुणा अधिक राशि विकास कार्यक्रमों पर खर्च की जायेगी। प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा बड़े पैमाने पर शक्तियों को विकेंद्रीयकृत करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ताकि विकास की गति को तेज किया जा सके।

४. उग्रवाद के विरुद्ध छेड़े गये अभियान में, पिछले तीन महीनों में हमें भारी सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। उग्रवादियों के कई गढ़ों को ध्वस्त कर दिया गया है तथा उनकी माँद में घुसकर, पुलिस ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। कई कुख्यात उग्रवादी पकड़े गये हैं, उनके बँकरों से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, नकद राशि तथा आयुध निर्माण से संबंधित सामग्रियाँ जप्त की गयी हैं। पुलिस का मनोबल बढ़ा है। साथ ही, पुलिस में लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। हमारा यह मानना है कि उग्रवाद की लड़ाई में विकास गतिविधियों को तेज करने तथा पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ, उग्रवाद की राह पर भटके हुए युवक एवं युवतियों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने की भी आवश्यकता है। इस दिशा में भी, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है और शीघ्र ही उग्रवाद से जुड़े युवक एवं युवतियों को पुनर्वासित करने के लिए एक सुविचारित, व्यवहारिक एवं प्रभावकारी प्रत्यावर्तन नीति की घोषणा की जाएगी। इस अवसर पर, माननीय सदस्यगणों के माध्यम से मैं आम लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि वे उग्रवाद समाप्ति के इस द्विपक्षीय

अभियान में सरकार के साथ सहयोग करें एवं समाज के दबे-कुचले एवं पिछड़े लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने की सार्थक कार्रवाई को सफल करें।

५. उग्रवादी संगठनों तथा संगठित अपराधिक गिरोहों की गतिविधियों पर प्रभावकारी नियंत्रण रखने के लिए झारखंड सशस्त्र पुलिस की दो अतिरिक्त वाहिनियाँ पलामू एवं साहेबगंज में सृजित की गई हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने एक इंडिया रिजर्व बटालियन इस राज्य के लिए स्वीकृत किया है। एक और इंडिया रिजर्व बटालियन स्वीकृत करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनुरोध-पत्र भेजा गया है। राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में, रैफ के तर्ज पर, एक महिला बटालियन भी सृजित करेगी।

६. राज्य पुलिस बल का सभी मायनों में आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस निमित्त सभी पुलिस थानों, अंचलों, अनुमंडलों इत्यादि के लिए नये वाहनों, वितंतु संयंत्रों इत्यादि की स्वीकृति कर दी गयी है। नये एवं आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों का क्रय किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में कंट्रोल रूम के सुदृढ़ीकरण के लिए वाहनों एवं वायरलेस सेटों की स्वीकृति कर दी गयी है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में पुलिस आधुनिकीकरण पर लगभग ५० करोड़ रुपयों का खर्च किया जा रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में भी लगभग इतनी ही राशि खर्च की जायेगी।

७. राज्य की काराओं के आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत ६ उप काराओं में नए वार्ड बनाने की योजना है। वित्तीय वर्ष २००१-२००२ में योजना मद अंतर्गत विरसामुंडा केन्द्रीय कारा, रांची, को अन्यत्र स्थानान्तरित कर पूरे भारत में अपने तर्ज का एक आदर्श कारा निर्मित कराया जायेगा जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा अन्य बाहरी विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों, विधि विशेषज्ञों इत्यादि का भी परामर्श प्राप्त किया जाएगा ।

८. ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं की काफी कमी है। अधिकांश गाँव अभी भी पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं। बरसात के दिनों में ऐसे गावों से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। अनेक गावों में पेय जल की पर्याप्त सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। अतः हमारी सरकार की यह सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि ऐसी समस्याओं से युद्धस्तर पर निपटा जाय। इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है। प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, युद्धस्तर पर गाँवों का सर्वेक्षण कर, ११५ करोड़ रुपयों की लागत पर एक योजना स्वीकृत करायी गयी है, जिसके अंतर्गत १००० से अधिक आबादी वाले गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ने का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह योजना तब तक चलायी जाती रहेगी, जब तक कि १००० से अधिक आबादी वाले सभी ग्राम पक्की सड़कों से नहीं जुट जाते हैं। इस योजना के, द्वितीय चरण में, ५०० से अधिक आबादी वाले गाँवों को भी पक्की सड़क से जोड़ने की कार्रवाई की जायेगी। हमारी सरकार ने सभी गाँवों, कस्बों तथा शहरों के सम्पर्क पथों के पुल, पुलिया एवं कल्वर्ट को निर्मित करा देने का लक्ष्य रखा है। इस कार्य के लिए नाबार्ड से भी सहायता प्राप्त की जाएगी।

९. स्वतंत्रता प्राप्ति के ५० वर्षों से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी, झारखंड राज्य में अभी भी ऐसे बहुत से गाँव एवं टोले हैं, जहां पेयजल की सुचारू व्यवस्था नहीं हो पायी है। अभी भी छोटे शहरों एवं बड़े नगरों में अबाध जलापूर्ति की समस्या बनी हुई है, इसे दूर करना होगा। हमारी सरकार ने इस समस्या को चुनौती-स्वरूप स्वीकार किया है। सरकार की प्राथमिकता होगी कि अगले वित्तीय वर्ष में अधिकांश ग्रामों एवं छोटे शहरों में जलापूर्ति की व्यवस्था को सुचारू बनाया जाय। इस प्रयोजनार्थ, ग्रामीण इलाकों में ट्यूबवेल तथा नलकूप गाड़ने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर प्रारम्भ की जायेगी। केन्द्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के

विभिन्न जिलों में बन्द पड़े वैसे नलकूपों, जिनकी विशेष मरम्मति कराकर जिन्हें चालू नहीं किया जा सकता है, के स्थान पर नये आधुनिक चापाकल लगाए जाएंगे।

१०. बिजली के बिना किसी भी राज्य के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। हमारी सरकार बिजली उत्पादन, संचरण एवं वितरण को बढ़ावा देगी तथा इस कार्य में जो भी संस्थाएं जुड़ना चाहेंगी उन्हें प्रोत्साहित करेगी। प्रत्येक ग्राम को अगले तीन से चार वर्षों की अवधि में विद्युत् ऊर्जा से आच्छादित करना होगा। इस हेतु प्रत्येक प्रखंड में एक ३३/११ के.वी. पावर स्टेशन की स्थापना करनी होगी तथा संचरण एवं वितरण लाइनों को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाना होगा। हमारी सरकार ऊर्जा सुधार की नीति पर चलकर, सभी आमजनों को विद्युत आपूर्ति सुलभ कराने का प्रयास करेगी तथा उद्योग-धन्धों के लिए पर्याप्त बिजली मुहैय्या कराएगी।

११. शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करना, हमारी सरकार की एक और प्राथमिकता होगी। मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा का सर्वथा अभाव है। मात्र प्राथमिक/मध्य विद्यालय स्वीकृत कर देने से ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति एवं विकास नहीं लाया जा सकता है। इसके लिए समर्पण भाव से कार्य करने तथा पुरानी पारम्पिरिक शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमारी यह मान्यता है कि शिक्षा में उच्चकोटि के गुणात्मक विकास के बिना भू-मंडलीकरण के इस युग में हम अपना विशिष्ठ स्थान नहीं बना पाएंगे। अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए हमें प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त वर्ग, कमरों एवं उपस्करों की व्यवस्था करनी होगी, प्रत्येक विद्यालय को अपना परिसर देना होगा तथा शिक्षकों में समर्पण की भावना पैदा करनी होगी। उनकी उपस्थिति को अनिवार्य बनाना होगा। निजी क्षेत्र में खुलनेवाले विद्यालयों को भी सरकार प्रोत्साहित करेगी। साथ ही, विद्यालयों में

खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास को भी बढ़ावा देना होगा। हम समझते हैं कि यह सब संभव है और इसके लिए हमारी सरकार अगले वित्तीय वर्ष में सार्थक प्रयास करेगी।

१२. प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले प्रत्येक परिवार के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन की उपस्थिति के लिए एक रुपया का प्रोत्साहन भत्ता दिया जायेगा। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सी.बी.एस.ई. की शिक्षा प्रणाली को अंगीकृत करने की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है। हमारी सरकार की यह योजना है कि प्रखंडों में अवस्थित हाई स्कूलों को उन्नयीकृत कर, उनमें +२ की शिक्षा दी जाय।

१३. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। माननीय सदस्यगणों को जानकारी है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधियों की परीक्षाएँ देरी से चल रही हैं। परिणामस्वरूप, विद्यार्थियों को एक या उससे अधिक वर्ष का नुकसान हो रहा है। अतः उनके शिक्षा कैलेण्डर को दुरूस्त करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, यथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हमारा प्रयास यह होगा कि अगले कैलेण्डर वर्ष तक इस राज्य अवस्थित सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरों की परीक्षाएँ ससमय होने लगें ।

१४. झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम तथा उसके अधीन गठित विद्यमान नियमावलियों में, आज की आवश्यकता के अनुसार, यथा-उचित संशोधन करने की आवश्यकता है। कहना न होगा कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के बाद ही मौलिक शोध की अपनी अहम् भूमिका निर्धारित हो पायेगी। किसी राज्य की अपनी अलग पहचान उसके विश्वविद्यालयों में किये गये मौलिक शोध तथा उच्च शिक्षा के स्तर से होती है। अतः

इसे हमे बढ़ावा देना होगा। राज्य सरकार यह महसूस करती है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन की दिशा निर्धारित करने के लिए किसी विख्यात शिक्षाविद् की अध्यक्षता में एक आयोग अथवा कमिटी का गठन किया जाना चाहिए जो उच्च शिक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का सम्यक एवं सर्वांगीण अध्ययन कर, राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन अगले छः माह की अवधि में दे कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिए तथा वर्तमान अधिनियम एवं नियमावलियों को, परिवर्तित परिवेश में, किस प्रकार और किस हद तक संशोधित किया जाना चाहिए।

१५. विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनियमितता तथा क्षेत्र उल्लंघन की शिकायतें प्रायः प्राप्त होती रहती हैं। हमारी राज्य सरकार इस राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का विशेष अंकेक्षण करा रही है जिससे कि वित्तीय प्रबन्धन को सही दिशा-निर्देश दिया जा सके। साथ ही, सम्बद्ध कॉलेजों की समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनके निदानार्थ आवश्यक उपायों को सुझाने के लिए एक समिति गठित करने का विचार है। आशा है कि राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए किये जा रहे पहल के सकारात्मक परिणाम जल्द ही सामने आएंगे।

१६. झारखंड राज्य के गठन के तुरंत बाद हमने झारखंड विद्यालय परीक्षा समिति का गठन कर लिया है। इस समिति द्वारा मैट्रिक परीक्षा आयोजित कराने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की भी व्यवस्था झारखंड राज्य में ही की गयी है। इसी प्रकार, झारखंड इन्टरमिडियेट परिषद की भी स्थापना कर दी गयी है और इस परिषद द्वारा परीक्षा आयोजित कराने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है ।

१७. वर्ष २००१-२००२ में कुल १२ चुने हुए माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है । राज्य सरकार द्वारा अगले वित्तीय

वर्ष में, रांची विश्वविद्यालय, बिनोवाभावे विश्वविद्यालय तथा सिद्धु-कान्हू विश्वविद्यालय के लिए भू-अर्जन एवं भवन निर्माण की आवश्यकताओं तथा विद्यमान भवनों के मरम्मति हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध करायी जाएगी। झारखंड सरकार द्वारा डालटेनगंज में स्वतंत्रता सेनानी नीलाम्बर-पीताम्बर के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

१८. झारखंड क्षेत्र की कला एवं सांस्कृतिक विकास के लिए रांची में एक बहुद्देशीय सांस्कृतिक परिसर का निर्माण कराया जायेगा। राज्य के पुरातात्विक स्थलों की खुदाई, सर्वेक्षण एवं संरक्षण के लिए पर्याप्त राशि का उपबंध योजना मद में किया जा रहा है। रांची एवं दुमका में संग्रहालय भवनों का निर्माण कराया जायेगा। राज्य के विभिन्न जिलों में स्टेडियम निर्माण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन, खिलाड़ी कल्याण कोष की स्थापना एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना आदि से सम्बन्धित योजनाओं को लागू किया जायेगा।

१९. राज्य सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है। बी.आई.टी., मेसरा, में पोलिटेक्निक की पढ़ाई के लिए योजना प्रारम्भ हुई है। सभी प्रमंडलों में तकनीकी शिक्षा संस्थानों को निजी क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीति की घोषणा कर दी गयी है। इन्टरमीडिएट कौंसिल प्रायोजित परीक्षा में उत्तीर्ण जिलावार मेधावी छात्रों के लिए बी.आई.टी., मेसरा, में नवसृजित १६५ सीटों में से ८५ सीटों का प्रबंध किया जा रहा है।

२०. स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य उपकेन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की अनुपस्थिति किसी भी राज्य सरकार के लिए चिन्ता का विषय है। झारखंड राज्य की स्वास्थ्य नीति इस बात पर

आधारित होगी कि प्रत्येक प्रखंडों में के अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया जाय ताकि न्यूनतम चिकित्सा हेतु प्रखंडवासियों को अनुमंडल या जिलास्तर पर जाने की जरूरत नहीं पड़े। चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उसी प्रकार की एक दैनन्दिनी रखी जाय जैसा कि पुलिस स्टेशन पर होती है। प्रसंगाधीन दैनन्दिनी में उस केन्द्र पर पदस्थापित प्रत्येक डाक्टर/डाक्टरों को यह विवरण दिन-प्रतिदिन के आधार पर अंकित करना होगा कि अमुक तिथि को उनके द्वारा किन-किन मरीजों का परीक्षण किया गया तथा उनके उपचार हेतु क्या कार्रवाई की गयी ? आशा की जाती है कि इस प्रकार की दैनन्दिनी संधारण से चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने में मदद मिलेगी तथा मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

२१. राज्य सरकार ने रांची चिकित्सा महाविद्यालय को एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराने का कार्य भारत सरकार की एक संस्थान, हॉस्पिटो इंडिया लिमिटेड, को दिया गया है। अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों के सुधार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए भी कई योजनाएँ बनाई गई हैं जिनका कार्यान्वयन अगले वित्तीय वर्ष में कराया जाएगा। चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षकों का पद प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएँगे तथा अन्य सुविधाएँ मुहैय्या कराई जाएँगी। हमारी सरकार ने देसी चिकित्सा को भी विकसित करने तथा यहाँ की औषध वनस्पितियों को बचाने एवं उन पर आधारित औषधियों में विविधता एवं सघनता लाने के लिए शोध कार्य पर जोर देने का निर्णय लिया है।

२२. झारखंड राज्य के प्रत्येक अनुमंडलीय अस्पताल में शय्याओं की संख्या कम से कम ५० तक बढ़ाई जायेगी तथा मधुपुर एवं घाटशीला में नये अनुमंडलीय अस्पताल खोले जायेंगे। वित्तीय वर्ष २००१-२००२ में झारखंड राज्य के अर्द्धनिर्मित

रेफरल अस्पतालों के भवन निर्माण कार्यों को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त एक कोष की संरचना अलग से की जाएगी। इस राशि से गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले गरीबों को हृदय, गुर्दा, कैंसर, मानसिक रोग, ब्रेन ट्यूमर, एड्स, टोटल हिप स्पाइनल सर्जरी, बोनमैरो ट्रांसप्लांट आदि जैसे असाध्य रोगों के ईलाज के उपाय किये जायेंगे। मध्य प्रदेश के इन्दौर के तर्ज पर, झारखंड राज्य में एक अस्पताल को निजी संस्थान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

२३. राज्य मार्गों में होने वाली सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के तत्काल इलाज हेतु, राष्ट्रीय उच्च पथों एवं राज्य मार्गों पर कुल लगभग २५ चिकित्सा केन्द्रों के स्थापना की योजना बनाई गयी है। इसके अतिरिक्त गोड्डा में होम्योपैथिक कॉलेज, गिरीडीह में यूनानी कॉलेज तथा साहेबगंज में आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की जायेगी। घाटशिला एवं दुमका में हरबेरियम खोले जायेंगे।

२४. मलेरिया, फाइलेरिया, टी.बी., कुष्ट, एड्स इत्यादि के विरुद्ध लड़ाई तेज की जायेगी। राज्य सरकार ने इन सभी कार्यक्रमों को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए झारखंड राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के गठन करने का निर्णय लिया है।

२५. कृषि उत्पादन को हमने अपने विकास का एक प्रमुख क्षेत्र माना है। हमारी अधिकांश भूमि पठारी भूमि है। जो भी कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, उसमें सिंचाई सुविधा का घोर अभाव है। फलतः, केवल खरीफ मौसम में ही अधिकांश भूमि में फसल होती है। हमारी सरकार ने कृषि प्रक्षेत्र को व्यापक पैमाने पर सिंचाई सुविधा

मुहैय्या कराने का संकल्प लिया है ताकि दो से तीन फसल तक ली जा सके। इससे जहाँ कृषि पर आधारित लोगों को सालों भर काम मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास की गति भी तेज की जा सकेगी। झारखंड राज्य में अनेकानेक बड़ी एवं छोटी नदियाँ हैं जिन पर सिंचाई योजना कार्यान्वित कर, कृषि को विकसित किया जायेगा। साथ ही, भू-गत जल स्रोतों का भी सर्वेक्षण कर, उनका विकास किया जायेगा। सभी जिलों में नदी-नालों तथा जल संचयन के अन्य स्रोतों पर आधारित सम्भावनाओं का सर्वे कराया जायेगा। स्वर्णरेखा सिंचाई परियोजना, अजय बराज सिंचाई परियोजना, धनसिंह टोली सिंचाई परियोजना, गुमानी सिंचाई परियोजना, पुनासी सिंचाई परियोजना, लतरातु सिंचाई परियोजना, कतरी सिंचाई परियोजना, शुरू सिंचाई परियोजना आदि को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का कार्य किया जायेगा। साथ ही, कनहर सिंचाई परियोजना तथा औरंगा सिंचाई परियोजना पर कार्य प्रारंभ कराने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। लघु सिंचाई योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर चेक डेम की योजनाएं कार्यान्वित कराई जायेंगी तथा पूरे राज्य में चेक डेम एवं उद्‌वह सिंचाई योजनाओं का जाल बिछा दिया जाएगा। भालको द्वारा ली गयी उद्‌वह एवं अन्य परियोजनाओं को पुनर्जीवित किया जायेगा। हमारी सरकार, चरणबद्ध तरीकों से, लघु सिंचाई की छोटी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए बाह्य वित्तीय संस्थाओं से संसाधन प्राप्त करने का प्रयास करेगी। अगले २ से ३ वर्षों में इस राज्य को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का हमारा लक्ष्य है।

२६. झारखंड राज्य में वृहद्, मध्यम एवं लघु उद्योगों की स्थापना की अपार सम्भावनाएं हैं। हमारा राज्य भू-तात्विक एवं खनिज पदार्थों में इस देश का सबसे अग्रणी राज्य है। इन प्राकृतिक सम्पदाओं का उपयोग कर, हम इस राज्य का औद्योगिकीकरण अत्यन्त द्रुत गति से कर सकते हैं। कई कारणों-वश पिछले वर्षों में औद्योगिकीकरण की

गति धीमी रही है। हमारी सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि अगले वित्तीय वर्ष में औद्योगिकीकरण की गति को तीव्र किया जाय। औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े जिलों में ग्रोथ केन्द्रों की स्थापना हेतु भू-अर्जन की कार्रवाई को त्वरित किया जायेगा। बरही में ग्रोथ सेंटर का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा। संथाल परगना क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन किया जायेगा। जिला उद्योग केन्द्रों को सुदृढ़ किया जायेगा तथा रांची में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जायेगी। रांची एवं दुमका में मिनि टूल रूम की स्थापना की जायेगी और निदेशालय स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत उद्योग समन्वय कोषांग खोला जायेगा।

२७. पूर्ववर्ती बिहार सरकार द्वारा उद्घोषित औद्योगिक नीति कई माह पूर्व व्यय-गत हो चुकी है। झारखंड राज्य के लिए नयी औद्योगिक नीति का गठन करने हेतु शीघ्र ही एक उच्चाधिकार प्राप्त तंत्र का गठन किया जायेगा जिसमें विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संघों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ आर्थिक जगत के माने जाने वाले हस्तियों तथा उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञों को रखा जायेगा जिससे कि एक सुविचारित एवं झारखंड राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार नयी औद्योगिक नीति का निर्धारण हो सके ।

२८. झारखंड राज्य को एक अग्रणी औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस कारण, इस क्षेत्र के बीमार औद्योगिक इकाइयों को फिर से सुदृढ़ करना एवं औद्योगिक क्षेत्र में इस राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित कराना भी हमारी एक बड़ी चुनौती है ताकि औद्योगिक क्षेत्र में विकास के साथ-साथ इस राज्य की जनता को रोजगार का भी व्यापक अवसर मिल सके ।

२९. झारखंड सरकार कल्याण विभाग के कार्यक्रमों को बहुत महत्व देती है। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ जनजाति के उत्थान के लिये विभिन्न

योजनाएं चलायी जाती हैं; आवासीय विद्यालय खोले जाते हैं, अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावासों का निर्माण कराया जाता है तथा समेकित बाल विकास योजना भी इसी विभाग के अतर्गत आती है।

३०. भारतीय संविधान की धारा २७५ (१) के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ राशि उपलब्ध करायी जाती है, जिससे आवासीय विद्यालयों के निर्माण कार्य, वन आधारित गाँवों के विकास, बंजर भूमि के विकास तथा आय सृजन आदि की योजनाएं ली जाती हैं। वित्तीय वर्ष २०००-२००१ में कल्याण विभाग द्वारा बी. आई. टी. मेसरा, रांची में ४.१५ करोड़ रु० के लागत पर युनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जनजातीय विकास हेतु ट्राइबल रिसर्च इंस्टीच्यूट, रांची, में एक म्यूजियम स्थापित करने का प्रस्ताव है। झारखंड क्षेत्र के आदिवासी छात्रावासों के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष २०००-२००१ में ३७.७८ लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है तथा १.३० करोड़ रुपए की छात्र-वृत्तियां स्वीकृत की गयी हैं। झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम लि०, रांची, के माध्यम से अनुसूचित आदिम जातियों के हित में कार्यरत सहयोग समितियों के विकास एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए निगम की हिस्सापूंजी में एक करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

३१. वित्तीय वर्ष २००१-२००२ के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ और अधिक व्यापक पैमाने पर योजनाओं को कार्यान्वित किये जाने का कार्यक्रम है जिससे कि इन योजनाओं का सीधा लाभ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों को वास्तविक रूप से मिल सके। प्रत्येक जिला मुख्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए १०० शय्याओं का, सभी सुविधाओं से युक्त, छात्रावास का निर्माण कराया जायेगा। राज्य के आदिम जनजाति के सभी परिवारों को अगले दो से तीन वर्षों में पूर्ण रूप से आवास उपलब्ध कराने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी गयी है । विलुप्त हो रहे

आदिम जनजातियों के कल्याणार्थ १० वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चों का अनिवार्य जीवन बीमा राज्य सरकार द्वारा कराया जायेगा ताकि विलुप्त होते हुए आदिम जातियों को बचाया जा सके। राज्य से बाहर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अखिल भारतीय प्रतियोगिता से उत्तीर्ण होकर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करनेवाले इच्छुक छात्रों पर होनेवाले खर्च को सरकार द्वारा वहन करने की योजना है। उलीहातू परियोजना के तहत बिरसा मुंडा कॉम्प्लेक्स तथा उसके अंदर एक आश्रम स्कूल का निर्माण कराया जायेगा। सरकार ने साहेबगंज के भोगनाडीह ग्राम में सिद्धू-कान्हू की याद में एक ऐसा ही स्मारक तैयार करने का निर्णय लिया है। सरकार का यह प्रयास रहेगा कि योजनाओं का कार्यान्वयन इस भाँति कराया जाय ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों को इसका पूरा लाभ सार्थक रूप से मिल सके ।

३२. भारतीय संविधान में निरूपित नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार समाज के गरीब, कमजोर, असहाय एवं निराश्रित वर्गों तथा महिलाओं, निराश्रितों, बालकों तथा विकलांगों आदि के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं चलाने का निर्णय लिया गया है। समेकित बाल विकास परियोजना के तहत झारखंड राज्य में १५२ परियोजनाएं चलायी जा रही हैं जिसके अंतर्गत १६७५२ आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से ६ वर्ष से नीचे के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं के जीवनस्तर में सुधार एवं उन्हें कुपोषण से बचाने हेतु पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवा एवं स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष २००१-२००२ में शेष सभी ३५ परियोजनाओं में भी पोषाहार कार्यक्रम चलाये जाने की योजना है, जिनमें अभी तक पोषाहार कार्यक्रम नहीं चलाया गया है ।

३३. राज्य में दो मूक एवं बधिर विद्यालय रांची एवं दुमका में कार्यरत हैं, लेकिन इनमें पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। अगले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा इन

विद्यालयों के लिए भवन निर्माण कराने के साथ-साथ इनमें सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैय्या कराने की योजना है। इसी प्रकार, रांची में कार्यरत नेत्रहीन विद्यालय में सभी आवश्यक सुविधाएं अगले वर्ष मुहैय्या करायी जायेंगी तथा विकलांग छात्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें आधुनिक व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बी बनाया जायेगा। विकलांगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। विकलांगों के सर्वांगीण विकास हेतु, उनका पूरे राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण कराकर, उन्हें छात्रवृत्ति एवं विशेष उपकरण मुहैय्या कराया जायेगा तथा उनके लिए कर्मशालाओं का निर्माण कराया जायेगा। स्पेस्टिक बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना की जायेगी ताकि ये अपंग नागरिक अपने आप को असहाय नहीं समझें ।

३४. राज्य में ७ सम्प्रेषण गृह कार्यरत हैं। इन सम्प्रेषण गृहों के लिए भवन निर्माण एवं जीर्णोद्धार की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, वहां रहनेवाले बच्चों को आधुनिक व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधाएं पर्याप्त रूप से प्रदान की जायेंगी।

३५. वर्ष २००१ महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार इस अभियान को सफल करने हेतु हर सम्भव कार्रवाई करेगी। महिलाओं को उद्यमों में दक्षता हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। यौन कर्त्ताओं के पुनर्वास एवं स्वनियोजन हेतु योजनाएं कार्यान्वित करायी जायेंगी। गावों में महिला मंडलों का गठन कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया जायेगा। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को कतिपय प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के प्रश्न पर सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तथा उनके कल्याणार्थ अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाएगा।

३६. स्वर्णजयंती रोजगार योजना अंतर्गत वर्ष २०००-२००१ में १४,७०१ स्वरोजगारियों को ऋण एवं अनुदान की राशि उपलब्ध करायी गयी। जवाहर ग्राम समृद्धि

योजना के अंतर्गत वर्ष २०००-२००१ में ४०३८.८८ लाख रुपये की विमुक्ति के विरुद्ध अद्यतन १०३५.०० लाख रुपए का व्यय कर १९.३२ लाख मानव दिवस का सृजन किया गया। इसी प्रकार सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक ५२७२.०० लाख रुपयों का व्यय कर २०६५.०० लाख मानव दिवस सृजित किए गये। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ५०२०.०० लाख रुपयों का व्यय किया गया जिससे ३४ हजार इंदिरा आवासों का निर्माण किया गया है। उसी तरह ६९४.०० लाख रुपयों का व्यय कर ७२३५ आवासों का उन्नयन किया गया है।

३७. ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के अधीन नये पथों एवं पुलों के निर्माण तथा पुराने पथों के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष २०००-२००१ में अठारह करोड़ (१८.०० करोड़) रुपयों की स्वीकृति दी गयी। विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसाओं पर ली जाने वाली विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ३३.०७ करोड़ रुपयों की राशि स्वीकृत की गयी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना अंतर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में कुल राज्यांश ४०३८.८८ लाख रु० की विमुक्ति की जा चुकी है। सुनिश्चित रोजगार योजना अंतर्गत १९२८.०३ लाख रु० की विमुक्ति की गयी है।

३८. अगले वित्तीय वर्ष २०००-२००१ में ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन और त्वरित किया जायेगा और उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने के लिए सख्त हिदायत दी जायेगी। अगले वित्तीय वर्ष में इंदिरा आवास योजना अंतर्गत ४६,७४५ नये इंदिरा आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। २३,३७० आवासीय गृहों का उन्नयन कार्य कराया जायेगा। ऋण सह अनुदान योजनांतर्गत ७,००० आवासीय भवनों का निर्माण कराया जायेगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवासीय योजना अंतर्गत वर्ष २००१-२००२ में १५ हजार परिवारों को आवास मुहैय्या कराने का लक्ष्य रखा गया है।

३९. झारखंड राज्य के १८ जिलों में कुल ३,७४४ पंचायतें हैं, जहाँ पिछले २३ वर्षों से पंचायत चुनाव नहीं कराये गये हैं। निःसंदेह, यह एक खेदजनक स्थिति है। जून, २००१ तक पंचायत चुनाव करा लेने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है। इस कार्य के लिए नये पंचायती राज अधिनियम को निरूपित करने की कार्रवाई चल रही है और हमें आशा है कि यह कार्य ससमय पूरा होगा।

४०. ग्रामीण जनता को नागरिकीय सुविधा से प्रथम साक्षात्कार निकट के शहरों से होता है। इन शहरों को समयबद्ध तथा नियोजित तरीके से विकसित करने की आवश्यकता है ताकि ये ग्रामीण जनता के लिए ग्राम्य जीवन में सुधार की अभिलाषा पैदा करने योग्य तथा अनुकरणीय बन सके। साथ ही, ग्राम्य उपजों की खपत के लिए प्रथम केन्द्र के रूप में भी विकसित हो सके। हमारी सरकार सभी शहरों के लिए अगले वित्तीय वर्ष में मास्टर प्लान तैयार करायेगी एवं उसी अनुरूप शहरी क्षेत्रों में कर्णांकित राशि को खर्च करेगी। शहरों तथा छोटी बस्तियों में रहनेवाले नागरिकों के लिए आधारभूत सुविधायें, यथा, जलापूर्ति, जल-मल निकासी, सफाई, पथों का निर्माण एवं उन्नयन, पार्कों का निर्माण, सड़कों पर रोशनी, तंग बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए परिवेशीय सुधार एवं गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाये जायेंगे। गंदी एवं तंग बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के परिवेशीय सुधार के लिए भी व्यापक योजनाएं चलायी जाएंगी ।

४१. रांची पूर्वी क्षेत्र का सभी सम्भावनाओं से परिपूर्ण तथा औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षमता वाला शहर है। इसे इस रूप से विकसित करने की योजना है कि यह पूरे राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने, राज्य की दिशा निर्धारित करने, आर्थिक व्यवसाय तथा नियोजन के अवसर पैदा करनेवाले शहर के रूप में पूरे भारत में जाना जाए तथा पूर्वी भारत का एक प्रमुख केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित हो सके। झारखंड राज्य

की राजधानी रांची एवं इस राज्य की उप राजधानी दुमका को विकसित करने हेतु महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। जिला मुख्यालयों में बस स्टैन्डों के सुधार एवं विकास के लिए एक व्यापक योजना चलायी जाएगी।

४२. इस राज्य में नगर एवं उपनगर में रहनेवाले नागरिकों की आवासीय समस्याओं को दूर करने के लिए झारखंड राज्य आवास परिषद के गठन की कार्रवाई की गयी है। इस परिषद द्वारा हुडको तथा अन्य संस्थाओं से सहायता प्राप्त कर वृहद रूप में गृह निर्माण की कार्रवाई की जायेगी ।

४३. झारखंड राज्य के गठन के पश्चात वित्तीय वर्ष २०००-२००१ में केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजना अंतर्गत लगभग ४.७८ करोड़ रुपयों की लागत पर न्यायिक पदाधिकारियों के लिए आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उनमें से १५ भवनों का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा। वित्तीय वर्ष २००१-२००२ में उपभोक्ता न्यायालय, झारखंड लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त कार्यालय इत्यादि का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।

४४. ११ वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रत्येक जिला में ५-५ अपर सत्र न्यायालयों के स्थापना की योजना है ताकि लम्बित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित कराया जा सके। इस दौरान तीन जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन के लिए आधारभूत संरचना का सृजन कर लिया गया है।

४५. राज्य परिवहन प्राधिकार का गठन किया जा चुका है तथा इन्फोर्समेंट विंग को सुदृढ़ किया जा रहा है। वाहनों की ओवर लोडिंग तथा अवैध वाहनों

के परिचालन पर रोक लगाने के लिए सभी जिला परिवहन कार्यालयों को मुख्यालय के साथ कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ने का कार्यक्रम है। इस राज्य से लगे हुए अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर ६ कम्पोजिट चेक पोस्टों का निर्माण कार्य कराया जायेगा जिससे कि कर वंचना को रोका जा सके। चेक-पोस्टों पर परिवहन विभाग के अलावा वाणिज्य-कर विभाग, खनन विभाग एवं वन विभाग द्वारा भी संयुक्त रूप से चेक-पोस्ट लगाया जायेगा।

४६. राष्ट्रीय उच्च पथों, राज्य मार्गों तथा जिला एवं ग्रामीण सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण पर एक बड़ी राशि अगले वित्तीय वर्ष में खर्च की जायेगी। सभी जिला मुख्यालयों को राजधानी रांची से दो लेन वाली अच्छी सड़क से जोड़ दिया जायेगा। इसी कार्यक्रम अंतर्गत अनुमंडल मुख्यालयों को जिला तथा प्रखंड मुख्यालयों को अनुमंडल से जोड़ने की कार्रवाई की जायेगी। साहेबगंज-रांची-लातेहार-डालटेनगंज-गढ़वा पथ को नगर ऊँटारी तक एक आदर्श सड़क के रूप में विकसित किया जायेगा। बड़े पैमाने पर उपरि पुलों का निर्माण कार्य कराया जायेगा। चक्रधरपुर, नामकुम, डीबडीह आदि स्थानों पर फ्लाई-ओवर बनाये जायेंगे तथा अधूरे कार्यों को पूरा किया जायेगा।

४७. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की वर्त्तमान सर्वेक्षित संख्या २२,२१,२०० है। इन परिवारों को पुनः सर्वेक्षित कराया जाएगा, ताकि वास्तव में इस कोटि के जरूरतमंद लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल सके। अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत, वृद्धावस्था पेंशनधारियों की कुल संख्या के लगभग २० प्रतिशत व्यक्तियों को, आच्छादित करने का लक्ष्य है। लाभान्वितों के चयन हेतु जिला स्तर पर कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। इस योजनांतर्गत प्रति लाभान्वित व्यक्ति को प्रतिमाह १० किलो खाद्यान्न का मुफ्त वितरण किया जायेगा। अंत्योदय योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों में से १५.३३ प्रतिशत परिवारों को प्रतिमाह २५ किलो अनाज सम्पोषित दर पर उपलब्ध कराने की योजना है ।

४८. पशुपालन क्षेत्र की विकास योजनाओं को एक नया रूप देने के लिए सभी पुरानी योजनाओं को विशेषज्ञों की समिति से अध्ययन कराने का निर्णय लिया गया है ताकि इन योजनाओं का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में दिखे। होटवार स्थित फार्म को नये रूप में विकसित किया जायेगा। मत्स्यपालन क्षेत्र को भी, आन्ध्र प्रदेश की प्रणाली का अध्ययन कर, यहाँ की स्थिति के अनुरूप बढ़ावा देने का प्रयास किया जायेगा। अगले वित्तीय वर्ष में पशु चिकित्सालयों का उन्नयन किया जाएगा तथा पशु कृत्रिम गर्भाधान के कार्यों को बड़े पैमाने पर चलाया जायेगा।

४९. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना इस राज्य में लागू कर दी गई है। तेलहन एवं दलहन फसलों के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को अगले वित्तीय वर्ष में और सुदृढ़ एवं विकसित किया जाएगा ताकि कृषि अनुसंधान, विकास तथा विस्तार को बढ़ावा दिया जा सके। राष्ट्रीय एवं अंन्तराष्ट्रीय स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे प्रसार के मद्देनजर इस राज्य में भी इस प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है तथा इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र तथा कृषि विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता दी जायेगी।

५०. नवयुवकों एवं युवतियों की सरकारी नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। शीघ्र ही अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर इस आयोग को क्रियाशील बना दिया जायेगा।

५१. असंगठित मजदूरों, कृषि श्रमिकों, बाल एवं महिला श्रमिकों के कल्याणार्थ राज्य सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये जाते हैं, जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष में भी चालू रखा जायेगा। खेतिहर, बीड़ी एवं ईंट भट्ठा में

कार्यरत मजदूरों को शोषण मुक्त कराया जायेगा तथा कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कारखानों में नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याणकारी सुविधाओं को सख्ती से लागू कराया जायेगा। बन्धुआ मजदूर उन्मूलन एवं पुनर्वास, वृद्धावस्था पेंशन, वस्त्र वितरण योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं से कमजोर, वृद्ध एवं असहाय लोगों की सहायता की जायेगी ।

५२. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को चुस्त-दुरूस्त किया जायेगा। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नये सरकारी/गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर, बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि उन्हें नियोजन एवं स्वनियोजन का अवसर प्राप्त हो सके। अवैध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंद कराये जायेंगे और विहित शर्तों को पूरा करने वाले औद्योगिक, मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं सूचना तकनीकी संस्थानों को मान्यता दी जायेगी। नियोजनालयों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जायेगा।

५३. झारखंड राज्य के सुरक्षित (प्राटेक्टेड) एवं आरक्षित (रिजर्व) वन, बढ़ती जनसंख्या एवं पालतू पशुओं के दबाव तथा सामाजिक-आर्थिक परिवेश में अपेक्षित उन्नयन के अभाव में क्रमशः संकुचित, विरल एवं अवकृष्ट होते जा रहे हैं। एक ओर वनों की उत्पादन-क्षमता दिनानुदिन न्यूनतर होती जा रही है, दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीणों एवं ग्राम्य जीवन की वनों पर निर्भरता के साथ ही विकास कार्यों के लिए वन-भूमि एवं वन-उत्पादों की आवश्यकता के कारण वनों का प्रभावी आच्छादन क्रमशः अवकृत होता जा रहा है। वन्य प्राणियों के लिए संरक्षित वन क्षेत्रों, यथा, वन्य प्राणी आश्रयणी, राष्ट्रीय उद्यान में भी प्रभावी वनाच्छादन के संकुचन अथवा विरलन तथा पालतू पशुओं के दबाव

के कारण वन्य प्राणियों के प्राकृतवास क्रमशः विनष्ट होते जा रहे हैं। फलतः, वन्य प्राणियों का अस्तित्व भी विनाश की आशंका से ग्रस्त है ।

५४. वनाच्छादन एवं पर्यावरण की निरंतन अवनति की इस व्यापक समस्या के निदान हेतु राष्ट्रीय वन नीति, १९८८, के अनुकूल वन संपदा की सुरक्षा एवं संवर्द्धन में जन निकायों के सक्रिय सहयोग को सुनिश्चित कराया जायेगा। अवकृष्ट वनों के प्रबंधन एवं संरक्षण में स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण वन प्रबंधन एवं संरक्षण समितियों का गठन किया जायेगा जिनमें परम्परागत मुंडा, मुनका, माँझी, महतो, पाहन एवं परगनैतों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा ।

५५. अगले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार वनों की सुरक्षा, संवर्द्धन एवं अन्य विकास के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न जिलों में वन विकास अभिकरण का गठन करने पर विचार कर रही है। इस अभिकरण के गठन के पश्चात् वन विकास से संबंधित सभी योजनाओं का सूत्रण एवं कार्यान्वयन इसी अभिकरण के माध्यम से कराया जायेगा।

५६. अवकृष्ट वनों के पुनर्वास हेतु विश्व बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को अनुरोध किया गया है। झारखंड वानिकी योजना के तहत विश्व बैंक से ११४६.७ करोड़ रुपये प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। गत कई वर्षों से झारखंड राज्य में वृक्षारोपण एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का कार्यान्वयन लगभग ठप-सा हो गया था। अगले वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक भू-भाग को वृक्षों से आच्छादित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गयी है। इस योजना के तहत

राज्य के मुख्य मार्गों पर फलदार एवं रिहायशी वृक्ष लगाने के लिए स्थायी पौधशालाओं का निर्माण किया जायेगा। इस योजना के तहत लगभग ८२१ किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों पर फलदार एवं रिहायशी वृक्ष लगाये जायेंगे। इसके फलस्वरूप पर्यावरण सुधार के अतिरिक्त, रिहायशी लकड़ी एवं फलों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। अवकृष्ट वनों का पुनर्वास किया जायेगा।

५७. गैर काष्ट एवं चारा परियोजना में १३,७०० हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया जायेगा ताकि राज्य की जनता को ईंधन, काष्ट एवं पालतू पशुओं का चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा सके। भू-क्षरण को रोकने के लिए ४,४७१ हेक्टेयर समस्या बहुल जमीन में मृदा संरक्षण का कार्य कराया जायेगा।

५८. पलामू व्याघ्र क्षेत्र के लिए विश्व पर्यावरण कोष द्वारा सम्पोषित पारिस्थितिकी विकास परियोजना में वर्ष ९५-९६ से कार्यान्वित होने वाली योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में ५ करोड़ रुपयों की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र तथा इसके आस-पास के १९१ गावों में पारिस्थितिकी विकास का कार्यान्वयन किया जायेगा ताकि उन गावों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार लाया जा सके तथा वनों पर उनके निर्भरता के स्तर में कमी लाई जा सके। झारखंड राज्य के कुल वनभूमि में से २१०० वर्ग कि०मी० को सुरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत १० आश्रयणियाँ अवस्थित हैं। इन आश्रयणियों को इको पर्यटन के लिए विकसित किया जायेगा।

५९. राज्य सरकार केन्दु पत्ता के संग्राहकों को केन्दु पत्ता का स्वामित्व देने पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत केन्दु पत्ता के विपणन से प्राप्त आय का

एक निश्चित भाग ग्राम सभाओं या वन सुरक्षा समितियों के माध्यम से प्राथमिक संग्राहकों को दिया जायेगा। इसके फलस्वरूप केन्दु पत्ता के प्राथमिक संग्राहकों के जीवन स्तर में काफी सुधार की सम्भावनाएं हैं। राज्य सरकार केन्दु पत्ता के संग्राहण एवं विपणन का अधिकार ग्राम सभाओं/ वन सुरक्षा समितियों को देने पर भी गम्भीरता से विचार कर रही है।

६०. कुछ प्रजातियों के काष्ट, जो सामान्यतः वन क्षेत्रों में नहीं पाये जाते हैं, के परिवहन को अनुज्ञा-पत्र की अनिवार्यता से मुक्त करने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे निजी जमीन पर कुछ प्रजातियों के वृक्षों को लगाने एवं उसका स्वतंत्र रूप से विपणन करने की छूट प्राप्त होगी। आशा की जाती है कि इससे रैयती जमीन पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन मिलेगा और वनों पर दबाव कम होगा।

६१. जिला योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिला को राशि उपलब्ध कराई जाएगी तथा इनका उपयोग पुल-पुलियों तथा कलवर्ट के निर्माण में किया जायेगा। सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय के गठन का भी प्रस्ताव है ताकि राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उसके क्रिया-कलापों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, संकलन, विश्लेषण एवं व्याख्या कर, उसका लाभ राज्य की जनता तक पहुँचाया जा सके। इसी क्रम में, आधुनिक संचार माध्यमों तथा कम्प्यूटरों का उपयोग कर, एक वृहत डाटा बैंक तैयार करने की योजना है।

६२. राजस्व एवं भूमि से संबंधित वादों का त्वरित निष्पादन, आदिवासी रैयतों की भूमि की वापसी तथा अधिशेष भूमि का वितरण, राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इन बिन्दुओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित राशि का प्रावधान किया गया है। भू-अभिलेखों

के कम्प्यूटरीकरण के लिए ८ करोड़ रुपयों की राशि कर्णांकित की गयी है। इसके अलावा राज्य सरकार सेटेलाइट के माध्यम से डिजिटल मैपिंग कराकर सभी रैयतों को अपनी जमीनों का विवरण एवं नक्शा उपलब्ध कराने पर गम्भीरता से विचार कर रही है।

६३. केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत सहाय्य कार्यों के लिए झारखंड राज्य में आपदा राहत कोष एवं आपदा राहत कोष समिति का गठन किया जा चुका है। राज्य के कई जिलों से फसलों की क्षति एवं सुखाड़ की सूचना प्राप्त हो रही है। राज्य सरकार द्वारा स्थिति पर गहन निगरानी रखी जा रही है एवं आवश्यकतानुसार सहाय्य उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के भूकम्प पीड़ितों के लिए राज्य सरकार ने दो करोड़ रुपयों की अनुदान-राशि स्वीकृत की है तथा चार क्षतिग्रस्त ग्रामों को पुनर्वास हेतु अंगीकृत करने का निर्णय लिया है।

६४. प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण पठारी क्षेत्र के रूप में अवस्थित झारखंड राज्य में पर्यटन की असीम सम्भावनाएं हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, राज्य पर्यटन के समेकित विकास हेतु ''झारखंड पर्यटन मास्टर प्लान'' बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

६५. वर्तमान वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं प्रावैधिक युग में खनिज सम्पदा का सतत् अन्वेषण एवं शोध किसी भी विकासोन्मुख राज्य के लिए आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में, विपुल प्राकृतिक सम्पदा एवं बहुमूल्य खनिज पदार्थों से सम्पन्न झारखंड राज्य का अपना एक विशिष्ट स्थान है क्योंकि देश की कुल खनिज सम्पदा का लगभग २२ प्रतिशत खनिज झारखंड राज्य में अवस्थित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, राज्य के पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों में कॉपर एवं उसके साथ संयुक्त खनिजों के अन्वेषण

एवं पर्यवेक्षण का कार्य एक कनाडियन कम्पनी ''फेल्सडाज'' को दिया गया है। कॉपर खनिज की उपलब्धता प्रमाणित होने एवं भंडार की मात्रा का अनुमान मिल जाने पर राज्य में कॉपर स्मेलटर संयंत्र स्थापित करने की सम्भावना बन सकेगी ।

६६. राज्य के गुमला एवं लोहरदग्गा जिलों में बाक्साइट के अपार भंडार की सम्भावनाओं को देखते हुए, उसकी खोज एवं मात्रा निर्धारण का कार्य भारत सरकार के रांची स्थित संस्थान खनिज अन्वेषण निगम को दिया गया है। अभी तक २३.६ मिलियन टन बाक्साइट खनिज का भंडार प्रमाणित हुआ है। वर्तमान बाक्साईट भंडार के आधार पर राज्य में कम से कम एक अल्यूमिना/ अल्यूमिनियम प्लांट की स्थापना की जा सकेगी। राज्य के खनिज बहुल जिलों, यथा, धनबाद, रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़ एवं हजारीबाग, जहां खनिज पट्टों की संख्या बहुत अधिक है, के लिए कम्प्यूटर प्रणाली अधिष्ठापित करने का प्रस्ताव है ताकि खनिजों के उत्खनन में वृद्धि लाने हेतु अनुश्रवण का कार्य सुगमता एवं सुचारू रूप से किया जा सके।

६७. हमारी सरकार चहुँमुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। इस अभीष्ट की प्राप्ति हेतु, सरकारी तंत्र को लोकोन्मुख बनाया जा रहा है। सरकारी नियमावली एवं संहिताओं के सरलीकरण का निर्णय लिया गया है जिसके तहत श्री एल० दयाल, भूतपूर्व मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में झारखंड कार्यपालिका नियमावली एवं सचिवालय अनुदेशों के सरलीकरण एवं परिणामोन्मुखी बनाने हेतु एक कमिटि गठित की गयी है। इसी तरह लोक निर्माण संहिता, बिहार प्रकीर्ण नियमावली, वित्तीय नियमावली आदि के संशोधन एवं सरलीकरण करने के भी निर्णय लिये गये है। क्षेत्रीय प्रशासनिक तंत्र को इ-गवर्नेंस की परिधि में लाने हेतु सचिवालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण करने की योजना पर कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गयी है। हमारी सरकार का यह प्रयास है

कि हमारे सरकारी तंत्र आम नागरिक को सहज रूप से उपलब्ध हो जिससे कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके ।

६८. अंत में मैं आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनीं। मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि वर्त्तमान सत्र के वित्तीय एवं विधायी कार्यों को सुचारू रूप से निष्पादित करने के साथ ही साथ, आप सभी माननीय सदस्यगण आगे आने वाले दिनों में राज्य के सर्वांगीण विकास तथा आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने एवं उसकी सुरक्षा तथा मान-मर्यादा को बढ़ाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ेंगे। राज्य सरकार आपके सहयोग एवं मार्गदर्शन से इस नवोदित राज्य के विकास एवं सम्वर्द्धन हेतु सभी ठोस एवं सकारात्मक कदम उठायेगी।

जय हिन्द ।